कोशी जीविका महिला विकाश स्वाबलंबी सहकारी समिति ली. सिंघेश्वर ③

BR-05-02-01-WO-004-2021

पता:- मनरेगा भवन, नवोदय विद्यालय के समीप, पंचायत- सुखासन,वार्ड नो. -08, प्रखंड- सिंघेश्वर, जिला - मधेपुरा, बिहार - 852128

पत्रांक:- KOSHI/CLF/54/2024-25 दिनांक:- 22/08/2024

विज्ञापन

पद का नाम: JNKTMCH मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में कोशी दीदी की रसोई के अंतर्गत कैंटीन प्रबंधक।

आवेदन की तिथि: 22/08/24 से 05/09/24 तारीख शाम 5 बजे तक।

आवेदन की तरीका: हाथो हाथ संकुल संघ के कार्यालय में।

संकुल संघ का पता: मनरेगा भवन, नवोदय विद्यालय के समीप, पंचायत- सुखासन,वार्ड नो. -08, प्रखंड- सिंघेश्वर, जिला - मधेपुरा, बिहार - 852128

पदो की संख्या - 1, जरूरत के आधर पर संकुल संघ पदो को घटा या बढ़ा सकती है।

इस पद की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

अवधारणा:

जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनो द्वारा शुरू की गई पहल 'जीविका दीदी की रसोई' को दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को सदर अस्पताल, वैशाली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई थी। वर्तमान समय में जीविका दीदी की रसोई राज्य भर में 203 स्थानों पर सामुदायिक संगठनो द्वारा कुशलता पूर्वक संचालित हो रही है और साथ ही साथ राज्य के अन्य संस्थानों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, अन्य सरकारी संस्थानों इत्यादि में कुशलता घूर्वक संचालित की जा रही है। यह पहल बिहार में ग्रामीण महिलओं की आय बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न संस्थानों में स्वच्छ, पौष्टिक और उत्तम भोजन प्रबंधन का एक उदाहरण बनकर उभर रही है। दीदी की रसोई के निरंतर बढ़ते व्यापार को देखते हुए, इसके कुशल संचालन एवं प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने हेतु दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त कार्य को करने के लिए दक्ष मानव संसाधन को **कैंटीन प्रबंधक (Canteen Manager)** नाम दिया गया है।

कैंटीन प्रबंधक का दायित्व:

जीविका संपोषित संकुल संघ द्वारा चयनित कैंटीन प्रबंधक जीविका दीदी की रसोई को अलग-अलग मापदंड पर निम्नलिखित सहायता प्रदान करेंगे: -

1. दीदी की रसोई का समग्र संचालन में सहायता प्रदान करना।
2. मानक संचालन प्रक्रिया के तहत दीदी की रसोई का संचालन सुनिश्चित करना।
3. दीदी की रसोई के इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करना।
4. दीदियों का नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना।
5. दीदी की रसोई के व्यापार में वृद्धि करवाना एवं नगद प्रवाह प्रबंधन करना।
6. मार्केट लिंकेज करना।

कैंटीन प्रबंधक के चयन हेतु न्यूनतम आवश्यक योग्यता:

1. उम्मीदवार होटल प्रबंधन/केटरिंग तकनीक (बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट (BHM)/बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी (BHMCT)/ बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन/बीए इन होटल मैनेजमेंट/बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी/बीबीए इन होटल मैनेजमेंट/होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. जीविका दीदी की रसोई जहाँ संस्थागत बिक्री की संख्या 50 से 500 होगी, उसमें आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।
3. जीविका दीदी की रसोई जहाँ संस्थागत बिक्री की संख्या 501 से 700 होगी, उसमें आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
4. जीविका दीदी की रसोई जहाँ संस्थागत बिक्री की संख्या 701 या उससे अधिक होगी, उसमें आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का कम से कम पाँच वर्षों का कार्य अनुभव भी अनिवार्य है।
5. विज्ञापन जारी होने की तिथि को उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच/वार्ड सदस्य/अन्य किसी पद) के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

कैंटीन प्रबंधक का चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा: -

चयन प्रक्रिया- कुल 50 अंकों का चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें अंक निम्नलिखित रूप से होगी: -

साक्षात्कार (30 अंक): - साक्षात्कार के लिए अधिकतम 30 अंक होंगे।

अनुभव (20 अंक):- अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए दो अंक दिए जाएंगे। जो अधिकतम 20 अंक होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी का 10 वर्षों का अनुभव है, तो उसे 20 अंक प्राप्त होगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति में उस उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, जिसका कार्य अनुभव किसी सरकारी संस्थानों में संचालित कैंटीन के संचालन/ प्रबंधन में होगा।

कैंटीन प्रबंधक का चयन:

नोडल संकुल संघ द्वारा संचालित जीविका दीदी की रसोई के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार कैंटीन प्रबंधक का चयन करेंगे। चयन के उपरांत संकुल संघ द्वारा कैंटीन प्रबंधक के साथ Rs.100 मात्र के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा मे कैंटीन प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों कि जिम्मेदारी, मानदेय भुगतान की प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उनके कार्यों से सेवा समाप्ति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कैंटीन प्रबंधक का एकरारनामा 11 माह की अवधि के लिए की जाएगी।

कैंटीन प्रबंधक का कार्यकाल:

कैंटीन प्रबंधक की परिवीक्षा अवधि तथा परिवीक्षा संपुष्टि

कैंटीन प्रबंधक की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) छह माह की होगी। संकुल संघ/ चयन समिति द्वारा कैंटीन प्रबंधक के परिवीक्षा अवधि के दौरान संपादित किए गए कार्य की गहन समीक्षा और मूल्यांकन करेंगे तत्पश्चात सेवा विस्तार की जाएगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कैंटीन प्रबंधक के मानदेय भुगतान मासिक रूप में किया जाएगा। चयनित कैंटीन प्रबंधक को राज्य भर में संचालित किसी भी संस्थान में पदस्थापित किया जा सकता है तथा उन्हें आवश्यकतानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर दीदी की रसोई के अनुश्रवण हेतु पदस्थापित किया जा सकता है। जिला एवं राज्य स्तर पर जीविका दीदी की रसोई के तकनीकी सहायता और अनुश्रवण के कार्य के साथ ही उन्हें सम्बंधित अन्य जीविका दीदी की रसोई के प्रबंधन का प्रभार भी दिया जा सकता है।

कैंटीन प्रबंधक का मानदेय भुगतान:-

कैंटीन प्रबंधक का मानदेय संकुल संघ/चयन समिति के द्वारा दीदी की रसोई के व्यापार के अनुसार नीचे दिए गए तालिका के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

कैंटीन प्रबंधक का मानदेय भुगतान विवरणी : -

क्र.सं.	दीदी की रसोई का संस्थागत बिक्री की संख्या	मानदेय प्रति कैंटीन प्रबंधक
1	50-100	रु. 20,000 से रु.25,000

कैंटीन प्रबंधक द्वारा जीविका दीदी की रसोई का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह (1 से 7 तारीख के बीच) में नोडल संकुल संघ को जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं जमा किये गए मासिक प्रतिवेदन की जाँच संबन्धित बीपीएम या जिला गैर-कृषि नोडल द्वारा की जाएगी उसके उपरांत उन्हें मानदेय भुगतान किया जाएगा।

कैंटीन प्रबंधक को प्राप्त अवकाश:-

कैंटीन प्रबंधक प्रति महीने एक आकस्मिक अवकाश (CL) एवं महिला कैंटीन प्रबंधक एक महीने में दो दिन विशेष अवकाश (SL) का लाभ दिया जाएगा।

BR-05 02-01-WO-0041 20-21

किरण देवी मंजु देवी